छत्तीसगढ़ शासन
वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

01/07/2017

क्रमांक/एफ 5–28/2017/10–2 रायपुर,दिनांक ~~01/07/2017~~

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षे0),
भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
ग्राऊंड फ्लोर (ईस्टर्न विंग), न्यू सेक्रेटेरियेट बिल्डिंग,
व्ही.सी.ए. स्टेडियम के सामने सिविल लाईन,
नागपुर (महाराष्ट्र) – 440001 ।

विषयः– Diversion of Forest land for non forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for 132 KV Vishrampur to Parsa Transmission Line, Area 19.385 Ha.

संदर्भः– 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर का पत्र क्रमांक FC-II/CH-64/2017-NGP/1925, दिनाक 14.06.2017।

2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विद्युत/479 – 153/2036, दिनांक 23.06.2017।

–––00–––

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र क्र.1 के माध्यम से अतिरिक्त जानकारी चाही गई है। उपरोक्त जानकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) के संदर्भित पत्र क्र. 2 के माध्यम से आपको प्रेषित की गई है।

2/– उक्त जानकारी की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न प्रेषित है । कृपया विषयांकित प्रकरण में सैद्धांतिक अनुमति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार ।

(एम.एन.राजूरकर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन, वन विभाग

पृष्ठां.क्रमांक/एफ 5–28/2017/10–2 रायपुर,दिनांक /06/2017

प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), रायपुर, छत्तीसगढ़।
2. मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त अंबिकापुर, छत्तीसगढ़।
3. वनमंडलाधिकारी, सरगुजा/सूरजपुर, वनमंडल छत्तीसगढ़।
4. आवेदनकर्ता कार्यपालन अभियंता, अति उच्च दाब निर्माण संभाग, छत्तीसगढ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित कोरबा।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन, वन विभाग

2325

D/FCA/ Letter-N/Lalu

Scanned by CamScanner

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ, अरण्य भवन, मेड़िकल कॉलेज रोड़, रायपुर
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू-प्रबंध)

दूरभाषः 0771 – 2552233 ई – मेलः apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू-प्रबंध/विद्युत/ 479-153/ 2086 रायपुर, दिनांक 23/06/2017

पंजी क्र. 2145 /10-2/ वन
दिनांक 30/6/17 2017

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
भारत सरकार – पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय – वेस्ट सेन्ट्रल रीजन
ईस्टर्न विंग – भू तल, न्यू सेक्रेटेरियेट भवन
VCA के सामने, सिविल लाईन
नागपुर – 440001

विषयः – **Diversion of Forest land for non forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for 132 KV Vishrampur to Parsa Transmission Line, Area 19.385 Ha.**
– **पंजीयन क्रमांक/FP/CG/TRANS/ 22046/ 2016**

संदर्भः 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर का पत्र क्रमांक No. FC- II/CH-64/2017-NGP/1925 दिनांक 14.06.2017
2. वन मंडलाधिकारी, सूरजपुर वन मंडल का पत्र क्रमांक/ मा. चि/ 1189 दिनांक 22.06.2017

–0–

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें।

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में आवेदक संस्थान छत्तीसगढ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या. कोरबा के द्वारा 132 के.व्ही. विश्रामपुर से परसा तक पारेषण लाईन निर्माण में सूरजपुर वनमण्डल के परिक्षेत्र सूरजपुर एवं रामानुजनगर अंतर्गत प्रभावित राजस्व वन भूमि क्रमशः 0.250 हें. एवं 15.516 हे. कुल प्रभावित वन भूमि 15.766 हे. एवं सरगुजा वन मण्डल अम्बिकापुर के परिक्षेत्र अम्बिकापुर, लखनपुर एवं उदयपुर अन्तर्गत प्रभावित राजस्व वन भूमि क्रमशः 1.274 हे., 0.827 हे. एवं 1.518 हे. कुल प्रभावित वन भूमि 3.619 हें. सकल प्रभावित वन भूमि 19.385 हें. वन भूमि के गैरवानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में संदर्भित पत्र – 1 द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर द्वारा 09 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई थी।

संदर्भित पत्र – 2 के माध्यम वन मंडलाधिकारी, सूरजपुर वन मंडल द्वारा बिन्दुवार जानकारी प्राप्त हुई है जो निम्नानुसार हैः–

क्र.	आपत्ति	पालन प्रतिवेदन
1	Original Copy of Part-II Form-A have not been submitted along with the proposal. The same needs to be submitted in accordance with the MoEF&CC's guideline dated 17.11.2016	सरगुजा जिले के सरगुजा वन मण्डल अन्तर्गत प्रभावित राजस्व वन भूमि का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन भाग–II की मूल प्रति संलग्न है। **संलग्नक क्रमांक– 01**
2	The DCF's Concerned have not certified that Non-Forest land involved in the proposal does not fall under the category of deemed forest land on which provisions of the forest (Conservation) Act, 1980 are applicable	उक्त प्रकरण के प्रस्ताव में सम्मिलित गैर वन भूमिका विवरण की सत्यापित प्रति संलग्न है। **संलग्नक क्रमांक– 02**
3	Forest patch wise area calculation statement, indicating the length and breadth, forest density has not been submitted. The same needs to be submitted along with details of	उक्त प्रकरण के प्रस्ताव में प्रभावित राजस्व वन भूमि का घनत्व 0.0 से 0.1 तक है तथा खसरावार लम्बाई, चौडाई एवं क्षेत्रफल का विवरण संलग्न है। **संलग्नक क्रमांक– 03**

क्रमशः–2

Scanned by CamScanner

<table>
<tr><td></td><td>patches which are being bifurcated from the transmission line.</td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>The State Government in its forwarding letter has mentioned total project affected trees as 829 while Part-II submitted online mentions total project affected trees as 743. Consistent detail of the exact number of projected affected trees both in online proposals as well as in the hard copy may be provided by the State Government. Further, as per existing Guidelines dated 05.05.2014 of the MoEF&CC the admissible width for 132kV Transmission line for stringing work is 3 Meters & and not 4 Meters as considered by the User Agency/ Forest Department. Exact Number of trees to be felled in both the division in accordance with the said guidelines dated 05.05.2014 needs to be submitted by the State Government.</td><td>उक्त प्रकरण के प्रस्ताव हेतु प्रेषित पत्र में प्रभावित राजस्व वन भूमि पर खडे वृक्षों की संख्या 829 उल्लेखित है, परन्तु आन लाईन पोर्टल में 21 से 30 से.मी. गोलाई के वृक्षों की संख्या के लिये प्रावधान नही होने के कारण, इस गोलाई के कुल 86 वृक्षों का विवरण की जानकारी सम्मिलित नही है। भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक F No. 7-25/2012-FC दिनांक 05.05.2014 के निर्देशानुसार कण्डिका 4 (v) छायाप्रति संलग्न में उल्लेखित 4.00 मी. (3+1) मी. कन्डकटरवार रखरखाव हेतु विदोहन किये जाने वाले वृक्षों की संख्या दर्शायी गई है ।
3 मीटर प्रति कण्डक्टर तथा 1 मीटर रखरखाव हेतु दिया जाना है भारत सरकार के निर्देशानुसार 3 मीटर में औषधीय रोपण किया जाना है।
तदनुसार 4 मीटर एक तरफ एवं डबल सर्किट होने से 4 मीटर दूसरी तरफ दिया जाना है।
संलग्नक क्रमांक– 04</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Extant proposal is for 132 Single Circuit Transmission line. In case the configuration of tower proposed for transmission line is of Double Circuit , the tree felling below second circuit may not be required at this stage i.e. it may be required in future, if the user agency desires to string second circuit also. Therefore, given the fact that at present only single circuit line has been proposed by the user Agency number of trees falling under the proposed single circuit needs to be intimated separately by the State Government.</td><td>उक्त प्रकरण के प्रस्ताव में आवेदक संस्थान द्वारा डबल सर्किट का प्रावधन अतिनिकट भविष्य के आवश्यकतानुसार तथा विद्युत सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया है ।
संलग्नक क्रमांक– 05</td></tr>
<tr><td>6</td><td>The Alternatives examined by the User Agency may be conspicuously depicted on the forest stock maps of appropriate scale and may be submitted by the State Government along with the details of the corresponding attributes of alternative examined viz. no of trees involved, feasibility of project. Soft copies of KML/Shape files needs to be submitted by the State government along with the documentary evidences establishing that concerned authorities in the state forest Department from DFO to PCCF have critically evaluated the alternate alignments explored by the User Agency.</td><td>उक्त प्रकरण के प्रस्ताव में आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तुत वैकल्पिक मार्ग का तुलनात्मक विवरण एवं KML फाईल की सी. डी. तैयार कर संलग्न है। तीनो वैकल्पिक मार्गो का सुक्ष्मता से परीक्षण किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है ।
<table>
<tr><td>वैकल्पिक मार्ग 1 (चयनित मार्ग)</td><td>लम्बाई 80.4 कि.मी. एवं क्षेत्रफल 19.385 हे.</td><td>उपरोक्त मार्ग में केवल राजस्व वन सम्मिलित है एवं कोई वन कक्ष प्रभावित नही हो रहा है तथा इसमें प्रभावित वृक्षो की संख्या न्युनतम है। (829 वृक्ष)</td></tr>
<tr><td>वैकल्पिक मार्ग 2</td><td>लम्बाई 79 कि.मी. एवं क्षेत्रफल 18. 356हे.</td><td>इस मार्ग मे एक कक्ष क्रमांक पी 2014 प्रभावित हो रहा है तथा इस के चयन से वन क्षेत्र का विभाजन होगा तथा उक्त मार्ग में 914 वृक्ष प्रभावित होगें।</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Scanned by CamScanner

		<table><tr><td>वैकल्पिक मार्ग 3</td><td>लम्बाई 79 कि.मी. एवं क्षेत्रफल 21.782 हे.</td><td>इस मार्ग मे दो कक्ष कमांक पी. 2014 एव पी 2007 प्रभावित हो रहा है तथा इस के चयन सेवन क्षेत्र का विभाजन होगा तथा उक्त मार्ग में 1204 वृक्ष प्रभावित होगे।</td></tr></table> **संलग्नक क्रमांक– 06**
7	Details of area available for plantation of Dwarf species, preferably Medicinal in the clearance available under the conductor and scheme of plantation has not been provided in the proposal.	उक्त प्रकरण के प्रस्ताव में दोनो तरफ कन्डक्टर के नीचे 4.00 मी. (3+1) चौडाई में बौने औषधि प्रजाति के वृक्षारोपण योजना संलग्न किया गया है। **संलग्नक क्रमांक– 07**
8	Examination of the compliance of Scheduled Tribes and other Traditional forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 Revealed that 646 persons have been allotted rights in the land proposed for diversion in Surajpur Forest Division. The Status of settlement of Rights in respect of 646 rights holders may be informed by the State Government.	उक्त प्रकरण के प्रस्ताव में आवेदक संस्थान द्वारा लेख किया गया है कि FRA के तहत हितग्रहियों का ROW क्षतिपूर्ति की राशि प्रथम चरण स्वीकृति उपरान्त तत्काल अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के माध्यम से किया जावेगा। इस प्रकरण में भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित नही है। **संलग्नक क्रमांक– 05**
9	Details of employment potential in terms of ManDays for skilled, semiskilled, and unskilled persons to be generated both on permanent basis (direct & indirect) as well as temporary (direct & indirect) also need to be provided by the State Government.	उक्त प्रकरण के प्रस्ताव में आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तावित प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सृजित रोजगार का विवरण संलग्न है। **संलग्नक क्रमांक– 08**

उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन को मान्य करते हुए प्रकरण आगामी REC की बैठक में विचारार्थ सम्मिलित करने का कष्ट करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

23/6

(एस.एस. बजाज)
अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 23/06/2017

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विद्युत/479–153/ 2037

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **प्रमुख सचिव,** छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

2. **मुख्य वन संरक्षक**, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़।
3. **वन मंडलाधिकारी**, सरगुजा / सूरजपुर वन मंडल, छत्तीसगढ़।
4. **कार्यपालन अभियन्ता**, अति उच्च दाव निर्माण संभाग, छत्तीसगढ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या. कोरबा छत्तीसगढ़।

वर्तमान में किसी भी प्रकार की वन भूमि में कार्य प्रारंभ करने की अनुमति नहीं है।

23/6

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व. सं. अ)
C.H छत्तीसगढ़

104 Letter Power 2017 (1).doc
Scanned by CamScanner